प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या–5104/प्र0फी0नि0स0/2023
लखनऊ दिनांक 17 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली–2015 में दी गई व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

(क) डिग्री स्तरीय संस्थानों हेतु:–

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु:–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	बी0टेक0	61,200.00
02	बी0फार्मा0	70,500.00
03	बी0आर्की0	64,300.00
04	बी0एफ0ए0	94,900.00
05	बी0एफ0ए0डी0	94,900.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	77,900.00
07	एम0बी0ए0	66,500.00
08	एम0सी0ए0	61,200.00
09	एम0फार्मा0	76,500.00
10	एम0आर्की0	64,000.00

11	एम0टेक0	64,000.00
12	समस्त बी0 वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु	29,900.00
13	एम0बी0ए0 इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु	28,700.00

(ख) डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों हेतुः–

➢ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	33,600.00
02	डी0फार्मा0	50,100.00
03	डी0आर्की0	33,700.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	34,800.00

➢ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	25,000.00

➢ सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 19,000.00

उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क में छात्रावास शुल्क, विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा शुल्क एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। समिति द्वारा

अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी। समिति द्वारा उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र–छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है एवं संस्थानों को भी निर्धारित फीस की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना आज्ञापक होगा। तत्सम्बन्ध में सूचना समिति की ई0मेल0आई0डी0 afrcup1155@gmail.com पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

संस्थान द्वारा उक्त दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विनियमावली–2015 के बिन्दु–12 का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में समिति स्वतः संज्ञान लेकर विनियमावली–2015 के बिन्दु–11 में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

3. मानक शुल्क से असहमति की दशा में–

ऐसी संस्थायें जो निर्धारित मानक शुल्क से असहमत होने की दशा में मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं उन्हें विनियमावली–2015 के बिन्दु4(4) एवं 05 के नियम के प्राविधानों के क्रम में समिति के समक्ष मानक शुल्क आदेश निर्गत होने के विलम्बतम 20 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपना आन–लाईन आवेदन निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(1) विनियमावली–2015 के बिन्दु–5 के उप बिन्दु (आठ) में दी गयी व्यवस्थानुसार शुल्क का आगणन पिछले तीन वर्षो की प्रमाणित आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर किया जायेगा।

- जिन संस्थानों की नवीनतम आडिटेड बैलेन्स सीट 2022–23 तैयार होगी, उन संस्थानों के शुल्क आगणन हेतु 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की आडिटेड बैलेन्स सीट ली जायेगी तथा शुल्क आगणन 2022–2023 की आडिटेड बैलेन्स सीट के आधार पर किया जायेगा।

- जिन संस्थानों की नवीनतम आडिटेड बैलेन्स सीट 2022–23 तैयार नहीं होगी, उन संस्थानों के शुल्क आगणन हेतु 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की आडिटेड बैलेन्स सीट ली जायेगी तथा **शुल्क आगणन 2021–2022 की आडिटेड बैलेन्स सीट के** आधार पर किया जायेगा।

(2) संस्थान द्वारा आवेदन/प्रस्ताव में ट्रस्ट की एवं संस्थान की पृथक–पृथक बैलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) संस्थान में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो उनका विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(4) संस्थाओं द्वारा आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) **विनियमावली–2015 के विनियम–4(4) एवं 5** में निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिनके अभाव में उस मद के व्यय का संज्ञान नहीं लिया जायेगा एवं संस्थाओं द्वारा **डिफीशिएन्सी रिमूवल से सम्बन्धित अभिलेख सूचना प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर आनलाईन/ई0मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा** तथा **निर्धारित अवधि** के पश्चात डिफीशिएन्सी से सम्बन्धित प्राप्त होने वाले अभिलेखों पर समिति द्वारा विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर **उक्त विनियमावली–2015** के संगत प्राविधानों के तहत शुल्क का आगणन कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।

4. निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क से इतर शुल्क हेतु आनलाईन आवेदन नहीं किया जाता है तो उन सभी संस्थानों पर शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष) हेतु पृथक–पृथक मानक शुल्क आदेश निर्गत न करते हुए समान रूप से मानक शुल्क प्रभावी होगा।

5. निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय छात्रों से समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न मदों यथा– बुक बैंक, आई–कार्ड,

प्रयोगात्मक शुल्क, टेस्ट फीस, लेट–फीस, पर्सनालटी ग्रूमिंग एण्ड डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, इन्डस्ट्रियल भ्रमण एवं इंस्टी0 इंडस्ट्री इन्टरफेस इत्यादि मदों में शुल्क की मांग किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आते है तो यह विनियमावली–2015 के संगत नियम–10 का सीधा उल्लंघन है। अतएव ऐसी दशा में समिति संस्थान के विरूद्ध विनियमावली–2015 के बिन्दु–11 में दिये गये प्राविधानानुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

राजेश चन्द्रा
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
(2) प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित समस्त सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान।
(3) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
(5) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
(6) सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
(7) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
(9) समस्त जिलाधिकारीं, उ0प्र0।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजेश चन्द्रा)
सचिव

D/Manak shulk aadesh 2023-24